ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री विशाल कुमार पुत्र श्री देवव्रत पुत्र श्री जगत राम, निवासी भटोली, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उनका सही नाम श्री विशाल कुमार पुत्र श्री देवव्रत पुत्र श्री जगत राम है। उनका नाम आधार कार्ड व परिवार नकल ग्राम पंचायत ओसल में सही दर्ज है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल भटोली, पटवार वृत्त भटोली में उनका नाम श्री डिम्पल कुमार पुत्र श्री देवव्रत पुत्र जगत राम दर्ज है जोकि गलत है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 25–07–2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री नीरज कुमार सुपुत्र श्री पृथी चन्द, निवासी गांव लोहर द्रमण, डाकघर घटासनी, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.——प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम जालम सिंह है, जोकि आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा में गलती से नीरज दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी

दिनांक 29–07–2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————